सं. 10(3)/2011-डीबीए-II/एनईआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विभागीय औद्योगिक नीति और संवर्धन

उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 011

दिनांक: 3 सितंबर, 2013

सेवा,

प्रधान सचिव (उद्योग)
उद्योग विभाग,
उत्तर पूर्व क्षेत्र की राज्य सरकारें,
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

विषय: उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 के तहत केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता के लिए परिचालन दिशा निर्देश के बारे में संशोधन।

महोदय,

इस विभाग के पूर्व के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता के लिए अद्यतन सामान्य परिचालन दिशानिर्देश अग्रेषित किए गए थे। संशोधित अद्यतन सामान्य संचालन दिशानिर्देशों के क्रम संख्या XXXIII पर दर्शाए गए सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के स्ववित्तपोषित प्रोजेक्टों के मूल्यांकन से संबंधित शर्तों में संशोधन निम्नानुसार है: -

वर्तमान में: सेवा और निर्माण दोनों क्षेत्र के लिए स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, एसएलसी को ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने से पहले किसी (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या (ii) सिडबी या (iii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मूल्यांकन किए गए निवेश के दावों पर अनुमोदन लेना होगा।

संशोधन: सेवा और निर्माण दोनों क्षेत्र के लिए स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, एसएलसी ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने से पहले किसी भी (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या (ii) सिडबी या (iii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद या (iv) राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक निगम द्वारा मूल्यांकित निवेश के दावों पर अनुमोदन प्रदान करेगी। हालांकि, स्व-वित्तपोषित छोटी इकाइयों को इस तरह के मूल्यांकन से छूट दी जा सकती है। ऐसी छूट प्राप्त स्व-वित्तपोषित छोटी इकाइयों के सीसीआईएस दावों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। ; हालांकि जिला स्तरीय समिति को भी ऐसे दावों पर विचार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

हसत्रा/-

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23063096

प्रति:

सचिव (उद्योग) / आयुक्त(उद्योग), असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य सरकार

प्रति प्रेषित:

1. निदेशक (उद्योग), उद्योग निदेशालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम,
   त्रिपुरा राज्य सरकार
2. सीसीए, डीआईपीपी
3. निदेशक, आईएफडब्ल्यू, डीआईपीपी
4. निदेशक, विशेष पैकेज अनुभाग, डीआईपीपी
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई
6. फिनर, सीएम, एसोचैम, फिक्की

एनआईपीपी, 2007 के तहत केन्द्रिय पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के सब्सिडी दावों को निपटाने का प्रवाह चित्र

1. भौतिक रुप से इकाई का सत्यापन 2. दावे के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन 3. अनुसंशा दावे की प्रस्तुती

नोट:-1. इटैलिक ब्रैकेट में दर्शाए गए आंकडे दिनों की संख्या में अपेक्षित समय सीमा है।

2. औद्योगिक इकाई द्वारा दावों को प्रस्तुत करने की तारीख से राजसहायता प्राप्त करने तक अपेक्षित समय - 280 दिन (150 लाख रुपये तक के दावे के लिए) और 338 दिन (150 लाख रुपये से अधिक के दावों के लिए और 3000 लाख रुपये तक) और 440 दिन 3000 लाख रुपये से अधिक के दावों के लिए)

डीआईसी- जिला उद्योग केन्द्र डीआई- उद्योग निदेशालय, एसएलसी - राज्य स्तरीय समिति

डीआईपीपी- उद्योग संवर्धन एवं नीति विभाग **सीसीईए** - आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति